न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील सं0–203 आर.15/02–03
ए0सी0टी0आर0 34 आर. 15/03–04

जग्गु लिण्डा – वादी
बनाम
माला देवी – प्रतिवादी

आदेश

29-11-2005 यह अपील वाद श्री जग्गु लिण्डा के द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद सं0–197/2000–01 में पारित दिनांक–10.01.2003 के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन निम्न प्रकार है –

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोनका		एम0एस0–1502	14कट्ठा 13 छँटाक

अपीलकर्त्ता का कहना है कि एम0 एस0 प्लॉट सं0–1502, आर0 एस0 प्लॉट सं0–8 से संबंधित है जो शनिचरिया उराईन के नाम से खतियान में दर्ज है। अपील आवेदन में यह वर्णित है कि शनिचरिया के मृत्यु के बाद उनका तीन पुत्र तुरिया लिण्डा, बिरसा लिण्डा और बैना लिण्डा जमीन के दखल में आये है। वर्त्तमान अपीलकर्त्ता जग्गु लिण्डा , बिरसा लिण्डा के पुत्र है। उनका यह भी कहना है कि दो अन्य असगर अली और अब्दुल जब्बार निम्न न्यायालय में कोई कागजात प्रस्तुत नही किया था। इसलिए उनके मामलें में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। अपील आवेदन मे यह भी कहा गया है कि तकरारी जमीन आदिवासी जमीन है जिसे बिना अनुमति के हस्तानान्तरण किया गया है। अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि होल्डिंग सं0–1332 खाता नं0–119 , खेसरा 14 से संबंधित है।

इस वाद में प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित जबाव नही दिया गया है लेकिन बहस के दौरान उनके विद्वान

अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। अपने बहस में विद्वान अधिवक्ता ने यह बताया कि तकरारी जमीन खतियान में "सेकेटरी ऑफ इंडिया इन कॉन्सिल" के नाम से दर्ज है तथा उसमें शनिचरिया मुण्डाईन एवं भौवा मुण्डा का दखल दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह जमीन रैयती नही है और इसका स्वागित्व आजकल राज्य सरकार के पास है। इसलिए अपीलकर्त्ता का दावा बिल्कुल गलत है कि जमीन आदिवासी श्रेणी की है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जमीन में 3 कट्ठा 340 वर्गफीट पर मकान बना हुआ है। विद्व अधिवक्ता ने यह भी कहा कि निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि "सेकेटरी ऑफ इंडिया इन कॉन्सिल" श्रेणी के जमीन पर सी0 एन0 टी0 की धारा 71(ए) लागू नही होती है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता ने बहस करते हुए यह बताया कि एम0 एस0 प्लॉट नं0–1502 , आर0 एस0 प्लॉट नं0 8 से संबंधित है जो भुईहरी जमीन है और उस पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा –71(ए) लागू होती है। इस जमीन का हस्तानान्तरण बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि शनिचरिया उराईन जमीन के मालगुजारी देते थे, और मो0 शनिचरिया उराईन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिरसा लिण्डा जमीन के दखल में आये और वर्त्तमान अपीलकर्त्ता जग्गु लिण्डा बिरसा लिण्डा के पुत्र है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मालती देवी ने उपरोक्त जमीन को लीज पर 21.12.1982 को पॉच वर्षो के लिए लिया था। यह लीज निबंधित है और वे 1987 में समाप्त हो गया है। विद्व अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने बाद में अपनी कहानी बदलते हुए यह बताने की कोशिश की है कि 1985 में जगीन उनके द्वारा खरीदी गई, लेकिन खरीदी गई जगीन खेसरा सं0–13 से संबंधित है।

इस अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सूनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि एम0 एस0 प्लॉट सं0–1502 "सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन कॉन्सिल" के नाम से दर्ज है जिसपर मो0 शनिचरिया का कब्जा दर्ज था। ऐसी स्थिति में इस भूमि की प्रकृति सरकारी जमीन की है और इसपर मो0 शनिचरिया उराईन का स्वामित्व नही माना जा सकता है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन कॉन्सिल की सारी जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई है और ऐसी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 (ए) लागू नही होती । जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को जमीन लीज पर दिये जाने का प्रश्न है उसका कोई चर्चा उनके अपील आवेदन में नही की गई है और न ही उस पर निम्न न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया था। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के परिवर्त्तन की आवश्यकता नही प्रतीत होती है। यह अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर सगाहर्त्ता,
रॉची।

अपर सगाहर्त्ता,
रॉची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 18:29:37 +05:30
Location: 192.168.2.175